



कार्यालय :- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली (छ.ग.)

Telephone No. :- 07755-299037

E-mail:- [dlsa-mungeli.cg@gov.in](mailto:dlsa-mungeli.cg@gov.in) , [mungelidlsa1@gmail.com](mailto:mungelidlsa1@gmail.com)

// // विज्ञापन // //

क्रमांक- 27 / 2025

मुंगेली, दिनांक 10.01.2025

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि -28/01/2025 संध्या 5.00 बजे तक आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली जिला न्यायालय परिसर मुंगेली के कार्यालय में रखे Drop Box से ही स्वीकार होंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग.) के अन्तर्गत रिक्त कार्यालय सहायक/क्लर्क, एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) के निम्नांकित पदों पर संविदात्मक भर्ती किये जाने हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. रिक्त (संविदा) पदों का विवरण :-

क्र०	पदों का विवरण	पदों की संख्या
01	कार्यालय सहायक/क्लर्क	02
02	कार्यालय भृत्य/मुंशी	02

टीप :-

- 1) परीक्षा तिथि एवं अन्य कोई परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली के पास सुरक्षित रहेगा।
- 2) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये ही है। नियुक्त किये गये स्टाफ की उपस्थिति, कार्यप्रणाली संतोषप्रद, व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा सालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 3) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तों के लिए निर्धारित परिपत्र/नियम/शर्तों के प्रवधानों के अधीन शासित होंगे।

## 2. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :-

### कार्यालय सहायक / क्लक पद के लिए

- (अ) वेतनमान क्लास –सी :- एकमुश्त मासिक वेतन 15,000 / –
- (ब) शैक्षणिक योग्यता :-
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।  
(Educational qualification : Graduation)
  - बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कम्प्युटर संचालित करने की दक्षता और डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिये। (Basis word processing skills and the ability to operate computer and skills to feed data.)
  - पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाईपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यक है। (Good typing speed with proper setting of paper.)
  - श्रुतलेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाईलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। (Ability to take dictation and prepare files for presentation in the Courts.)
  - फाईल रखरखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। (File maintenance and processing knowledge.)

### कार्यालय भृत्य (मुंशी / अटेन्डेंट) पद के लिए

- (अ) वेतनमान क्लास –सी :- एकमुश्त मासिक वेतन 9,000 / –
- (ब) शैक्षणिक योग्यता :-
- किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण हो।

## 3. आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :-

### पात्रता की अन्य शर्तें :-

- (अ) आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।
- (ब) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (स) कोई पुरुष उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित हैं और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (द) आवेदक, किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

- (इ) ऐसे उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहाँ तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

### आयु सीमा :-

- (1) उम्मीदवार दिनांक 01/01/2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष तक की छूट की अवधि बढ़ाया गया है, जो कि कलण्डर वर्ष 2024 की समाप्ति तक के लिए प्रदान की गई है। परन्तु अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (2) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के उम्मीदवार/आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।
- (3) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अन्य विशेष वर्ग जैसे-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी, किन्तु सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उच्चतम आयु सीमा में छूट :- निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :-

- 3 (एक)(1)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- 3 (एक)(2)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- 3 (एक)(3)- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेंगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- 3 (एक)(4)- ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

- 3 (एक)(5)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 3 (एक)(6)– महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
- 3 (एक)(7)– शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- 3 (एक)(8)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।
- 3 (एक)(9)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी अधिकतम आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 3(एक)(10)– संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

**नोट :- अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।**

- 3(एक)(11)– शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 3 (दो)(1)– आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

**नोट :- आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।**

- 3 (दो)(2)– विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

**टीप :-**(1) बिन्दु क्रमांक 3(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

- (2) बिन्दु क्रमांक 3(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

**उदाहरण :-** यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

**महत्वपूर्ण:-**1- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

2- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित है। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी हैं, जिनके द्वारा अन्य राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी, उन्हें विज्ञापित पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किया जावेगा, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं।

#### 4. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1- विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वर्ग मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, को कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली, जिला न्यायालय परिसर मुंगेली (छ.ग.) में दिनांक 28.01.2025 की संध्या 05:00 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र जमा करना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों तथा डाकघर या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

2- आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर), दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित (SELF ATTESTED) प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3- विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जिला न्यायालय मुंगेली के वेबसाईड <https://mungeli.dcourts.gov.in> में किया जा सकता है, तथा विज्ञापन में दिये आवेदन पत्र का प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।

4- कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिये आवेदन करना चाहते हो तो प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र पृथक-पृथक लिफाफा में प्रस्तुत करना होगा। एक ही आवेदन फार्म में

(6)

दो पदों के लिए किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जावेगा। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

- 5- आवेदक, आवेदन पत्र पर अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करेगा।
- 6- आवेदक, आवेदन पत्र का सम्पूर्ण इन्द्राज नीले बॉल पेन/डॉट पेन से ही करेगा। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
- 7- विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 08- त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।

### 5. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया

#### प्रथम चरण – स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता

रिक्त पदों एवं उचित पाये गये आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए जारी पदों के 25 गुणा अभ्यर्थियों की सूची उनके स्नातक में प्राप्त अंको की प्रावीण्यता (मेरिट) पर जारी की जावेगी। समान अंको की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को अवसर प्रदान किया जावेगा। जन्मतिथि समान होने पर अग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा, उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

#### द्वितीय चरण – कौशल परीक्षा

##### (अ) कार्यालय सहायक/क्लर्क (संविदा) पद हेतु :-

उक्त पद हेतु कौशल परीक्षा 500 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जावेगा जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये 1 अंक काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईपिंग की प्रत्येक अशुद्धि के लिये होगा।

**मेरिट सूची :-** कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उससे प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की जन्मतिथि समान होगी तो स्नातक में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की स्नातक में भी समान अंक होने पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

**चयन प्रक्रिया :-** उक्त कौशल परीक्षा के वरीयता सूची के आधार पर सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी,

(7)

उसे प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की जन्मतिथि समान होगी तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

### कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) के (संविदा) पद हेतु :-

रिक्त पदों एवं उचित पाये गये आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुये रिक्त पदों के **25 गुणा** अभ्यर्थियों की सूची उनके कक्षा पाँचवी के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम में तैयार की जावेगी तथा इस सूची में आने वाले अभ्यर्थी को ही **साक्षात्कार** के लिए बुलाया जावेगा। साक्षात्कार कुल **50** अंक का होगा।

साक्षात्कार उपरांत अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा, उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

**टीप :-** यदि किसी अभ्यर्थी को कक्षा 5 वीं में ग्रेड सिस्टम से ग्रेड प्रदान किया गया है तो यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि संबंधित स्कूल से कक्षा 5 वीं में प्राप्त किये गये प्राप्तांकों एवं उनके प्रतिशत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, स्वप्रमाणित दस्तावेज निर्धारित आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न करें।

“परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी लिया जावेगा।”

### 6. अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिए।

### 7. अन्य आवश्यक सूचनाएं

- 1- नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली जिला मुंगेली (छ0ग0) को होगा।
- 2- उपरोक्त पदों पर चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।
- 3- प्रत्येक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी तथा कार्यालय के वेबसाईडट

<https://mungeli.dcourts.gov.in> में भी उपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति निर्धारित तिथि के शाम 05:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी, तत्पश्चात् किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

- 4- परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

नोट :-पात्र अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र कार्यालय के वेबसाईट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से नहीं भेजा जावेगा। अतः अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे कार्यालय के वेबसाईट का सतत् अवलोकन करते रहें।

- 5- प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। उक्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत केवल 03 माह तक सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान की जायेगी।

स्थान :- मुंगेली

दिनांक :- 10.01.2025

अध्यक्ष  
चयन समिति  
कार्या. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
मुंगेली (छ.ग.)



कार्यालय सहायक/क्लर्क एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) के रिक्त पदों पर  
नियुक्ति हेतु

प्रति,

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
मुंगेली (छ.ग.)

अभ्यर्थी  
स्वहस्ताक्षरित  
नवीनतम पासपोर्ट  
साईज का फोटो  
संलग्न करें।

1. आवेदित पद का नाम .....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) .....  
(अंग्रेजी के ब्लाक लेटर्स में) .....
3. लिंग— पुरुष, संकेतांक-1, महिला संकेतांक-2, अन्य-3
4. पिता/पति का नाम .....
5. अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता .....  
(हिन्दी में) मोबाईल नम्बर .....  
.....  
ब) स्थायी पता .....  
(यदि पत्र व्यवहार का पता एवं  
स्थायी पता एक ही है तो तदैव लिखें) .....
6. अ) जन्म तिथि — अंको में   
शब्दों में .....
- ब) दिनांक 1/1/2025 को आयु:— वर्ष  माह  दिन
7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हां/नहीं   
(यदि हां, तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)
8. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा घोषित  
अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का  
सदस्य है? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी  
स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
9. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।
10. क्या आवेदक निःशक्त है? हां/नहीं   
(यदि हां, तो निःशक्तता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का  
सत्यापित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

11. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत

12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं  
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

13. रोजगार कार्यालय की जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक

14. रोजगार कार्यालय का नाम

.....

15. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6

16. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं  
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

17. क्या आप निर्धारित आयुसीमा में छूट चाहते हैं? हाँ/नहीं

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

### घोषणा पत्र

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त जानकारी मेरी व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है। मैंने अपनी शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में सही-सही पूर्ण विवरण दिया है। उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति चयन प्रक्रिया अथवा नियुक्ति उपरोक्त किसी भी समय समाप्त/निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक .....  
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर  
नाम एवं पूरा पता एवं मोबाईल नम्बर

.....  
.....